# कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

**अपील/RTI/26/2024**

श्री भागचंद पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली निवासी मकान नं. 786/2 महादेव कॉलोनी, बडी नागफणी, बोरीज रोड जिला अजमेर, मो.नं. 7230806899

**....अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

**....रेस्पोडेन्ट**

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**आदेश दिनांक 14.06.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री भागचंद पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली निवासी मकान नं. 786/2 महादेव कॉलोनी, बडी नागफणी, बोरीज रोड जिला अजमेर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/386 दिनांक 07.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक रसद/आरटीआई/24/112 दिनांक 14.06.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिस कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है उस कार्मिक की सेवा सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय में



जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 26
भागचंद बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर

संधारित नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को सूचना नहीं दी जा सकती है। इस बाबत् कार्यालय से जरिये पत्रांक आरटीआई / 2024 / 103 दिनांक 19.03.2024 से सूचित किया जा चुका है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर